



अन - १९२७ - I - १६

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-जबलपुर

बोध सिंह मर्स्कुले पुत्र श्री नवल सिंह
मर्स्कुले निवासी - 604/2 गुप्तेश्वर
तहसील व जिला - जबलपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला
जबलपुर

2- प्रवीण शर्मा पुत्र गोपी किशन शर्मा
निवासी- 833 न्यूरामनगर एन.आर.
सुराही ब्लॉग आधारताल मातासुला
तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक
38/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरुद्ध
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर का आदेश, अवैध,
अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य
के।


B
2/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1927/एक/2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
३०.६.१६	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 38/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम पिपरियाकला प.ह.न. 78 रा.नि.म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 320 रकवा 0.970 है० (2.39 एकड़) भूमि अनावेदक गैर आदिवासी प्रवीण शर्मा पुत्र श्री गोपी किशन शर्मा निवासी 833 न्यू रामनगर एन.आर.सुराही ब्लाग आधारताल तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदक पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि उसके पास 6.40 है० भूमि शेष बचेगी। इसलिये आवेदक को भूमि विक्रय</p>	 

अनुमति
 अवेदन
 आवेदन
 प्राप्त
 करना

करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 38/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच नायब तहसीलदार खमरिया वृत्त जबलपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर से करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदक के प्रकरण में आदेश दिनांक 30.05.2016 पारित कर प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। जिससे आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पर कोई विचार नहीं हो सका। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा इस व्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 30.05.2016 को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया। जबकि कलेक्टर, जबलपुर को आवेदन पत्र पद सद्भाविक विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया, अतः विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

ग्रन्थ

अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।

5- उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 30.05.2016 के विलङ्घ यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुचिभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 30.05.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं बैक छूट पटाने तथा कृषि उपकरण खरीदने तथा परिवार के निवास हेतु निर्माण करने एवं पारिवारिक आवश्यकतों की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 6.40 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

१५८

पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।


5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना

११८

के/2016

आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गार्ड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 2 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गार्ड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को खर्चित एवं भूमि स्वामी खत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम पिपरियाकला प.ह.न.78 रा.नि.म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 320 रकवा 0.970 है (2.39 एकड़) भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।



सदरमुख

